**भारत सरकार**

**ग्रामीण विकास मंत्रालय**

**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2301**

**(09 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**गरीबी उन्मूलन योजना**

**2301. श्री डी. के. सुरेश :**

**श्री हाजी फजलुर रहमान :**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गरीबी की समस्या से निपटने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त सभी कार्यक्रमों में इसके तहत निर्धारित किए गए लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास मंत्री**

**(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गाँधी नरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जैसे अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यतः आजीविका के आवसरों को बढ़ावा देने, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा तंत्र के प्रावधान, ग्रामीण युवाओं के कौशल

प्रशिक्षण, अवसंरचना विकास इत्यादि पर जोर देते हुए ग्रामीण गरीबी को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए बहुद्देश्यीय कार्यनीतियां अपना रहा है। पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बजट आवंटन और व्यय का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दर्शाया गया है।

(ग) : गरीबी रेखा का उपयोग करते हुए गरीबी का आकलन पूर्ववर्ती योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा किया जाता था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के निर्धारण के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों (बीपीएल) की जनगणना करता रहा था। पहली बीपीएल जनगणना 1992 में और उसके बाद वर्ष 1997 में तथा अंत में वर्ष 2002 में की गई थी।

2002 की बीपीएल जनगणना के बाद गरीबी के बहुआयामी स्वरूप को स्वीकारते हुए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) का संचालन किया गया। एसईसीसी-2011 से परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे कि आवास, भू-जोत/भूमिहीनता, शैक्षणिक स्थिति, महिलाओं, विकलांगों की स्थिति, व्यवसाय, परिसंपत्तियों का स्वामित्व, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) परिवारों की स्थिति, आय इत्यादि के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आँकड़े प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार तथा अनेक राज्य सरकारों की कई योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन एसईसीसी 2011 के (i) "स्वतः बहिर्वेशित परिवारों", (ii) "स्वतः अंतर्वेशित परिवारों" और (iii) "वंचित परिवारों" के आँकड़ों के आधार पर किया जाता है। इन तीन श्रेणियों में ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ) से (च): गरीबी उपशमन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

**दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)** जून, 2011 में शुरू किया गया केंद्र द्वारा प्रायोजित गरीबी उपशमन कार्यक्रम है। इस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से सभी ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुँचकर उनकी आजीविकाओं पर पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव डालना है। डीएवाई-एनआरएलएम की रूपरेखा मिशन के रूप में कार्यान्वित किए जाने के लिए तैयार की गई है, जिसकी लागत में भारत सरकार और राज्य दोनों साझेदारी करते हैं। इस मिशन में जनवरी, 2021 तक 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों

के 691 जिलों के 6360 ब्लॉक शामिल किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

| क्र.सं. | प्रमुख पैरामीटर संकेतक | 2019-20 | 2020-21 (दिसम्बर,20) |
|---|---|---|---|
| 1 | स्व-सहायता समूहों की सामाजिक एकजुटता | 9,76,317 | 4,71,626 |
| 2 | परिक्रामी निधि पाने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या | 4,62,534 | 4,36,529 |
| 3 | सामुदायिक निवेश निधि पाने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या | 2,28,743 | 2,22,156 |

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)** और **ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)** नामक दो कौशल विकास कार्यक्रम हैं। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य या तो मजदूरी या स्व-रोजगार के रूप में रोजगार पाने की ग्रामीण युवाओं की क्षमता बढ़ाना है। इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

**दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)**

| वर्ष | लक्ष्य | डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की कुल संख्या | डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत रोजगार पाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 250000 | 238336 | 150199 |
| 2020-21 (31.01.2021 तक) | 65694 | 15094 | 38359 |

**ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)**

| वर्ष | लक्ष्य | प्रशिक्षित | स्व-रोजगार शुरू करने वाले |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 386129 | 384025 | 281645 |
| 2020-21 (31.01.2021 तक) | 242040 | 152509 | 108931 |

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी आने के बाद लगे लॉकडाउन के कारण प्रशिक्षण कार्यकलाप काफी समय तक लंबित रहे, जिसके परिणामस्वरूप वांछित प्रशिक्षण परिणामों की प्राप्ति पर प्रभाव पड़ा।

**महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गाँधी नरेगा)** मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जिसमें अकुशल श्रम कार्य करने को इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अँतर्गत 265.36 करोड़ श्रमदिवसों का सृजन हुआ और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में (03.03.2021 तक) 354.17 करोड़ श्रमदिवसों का सृजन हुआ है।

**राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)** गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों के लिए और उन परिवारों के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने के मामलों में समाज कल्याण कार्यक्रम है। यह ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 2.93 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3.09 करोड़ के कुल लक्ष्य में से 296 लाख लाभार्थियों को एनएसएपी में शामिल किया गया है।

**प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)** का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और दो कमरों तक के कच्चे और जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2022 तक आधारभूत सुविधाओं से संपन्न पक्का मकान उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 की उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

| क्र.सं. | **प्रमुख पैरामीटर संकेतक** | **2019-20** | **2020-21 (03.03.2021 तक)** |
|---|---|---|---|
| 1 | कुल लक्ष्य | 59,76,600 | 64,71,828 |
| 4 | कुल स्वीकृत मकान | 56,19,800 | 36,15,885 |
| 5 | कुल निर्मित मकान | 36,52,301 | 3,25,725 |

**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)** को ग्रामीण जनसमुदाय को अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें उपलब्ध कराकर उन्हें आधारभूत सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन के उपाय के रूप में वर्ष 2000 में शुरू किया गया। पीएमजीएसवाई से ग्रामीण जनसमुदाय की बाजार तक पहुंच बढ़ाने और विभिन्न प्रकार के रोजगार के सृजन में मदद मिली है। इस कार्यक्रम की शुरूआत से 28 फरवरी, 2021 तक कुल 7,50,896 कि.मी. लंबी सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 6,50,458 कि.मी. लंबी सड़कों (87%) का निर्माण कार्य संपन्न हो गया है। इसके अतिरिक्त 99% बसावटों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क संपर्कता प्रदान की जा चुकी है।

**श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)** के अंतर्गत देशभर में 300 रूर्बन ग्रामीण क्लस्टरों का विकास करने का सरकार का प्रस्ताव है। एसपीएमआरएम का लक्ष्य गांवों के चयनित क्लस्टरों का सर्वांगीण विकास करना है। इस योजना का उद्देश्य समेकित विकास सुनिश्चित करना है, जिससे क्लस्टरों को बढ़ावा देकर गरीबी का प्रभावी उपशमन किया जा सके। एसपीएमआरएम के अंतर्गत वास्तविक प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है:-

| क्र.सं. | पैरामीटर | प्रगति |
|---|---|---|
| 1 | कुल आवंटित क्लस्टर | 300 |
| 2 | अनुमोदित क्लस्टरों की संख्या | 292 |
| 3 | अनुमोदित समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं (आईसीएपी) की संख्या | 290 |
| 4 | एसएलईसी द्वारा अनुमोदित डीपीआर की संख्या | 281 |
| 5 | आयोजना क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्लस्टरों की संख्या | 232 |

**लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 के उत्तर के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I**

| क्र. सं. | योजनाओं का नाम | 2018-19 (सं.अ.) | | 2019-20 (सं.अ.) | | 2020-21 (सं.अ.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं | सं.अ. | वास्तविक व्यय | सं.अ. | वास्तविक व्यय | सं.अ. | वास्तविक व्यय (31.01.2021 तक) |
| 1 | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | 61830.09 | 61829.55 | 71001.81 | 71679.31 | 111500 | 89287.63 |
| 2 | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - आजीविका | 5783.5 | 5783.48 | 9024 | 8989.56 | 9210.04 | 6906.69 |
| 3 | प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण | 19600 | 19307.95 | 18475 | 18116.02 | 19500 | 18313.52 |
| 4 | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 15500 | 15417.55 | 14070.07 | 14017.48 | 13706.23 | 11431.15 |
| 5 | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | 8467.46 | 8418.47 | 9200 | 8692.42 | 42617.22 | 41278.26 |
| 6 | श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन | 451.03 | 432.61 | 300 | 303.75 | 372.33 | 365.09 |
| | कुल | 111632.08 | 111189.61 | 122070.88 | 121798.54 | 196905.82 | 167582.34 |

**लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 के उत्तर के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।।**

**एसईसीसी-2011 के राज्य-वार परिणाम (ग्रामीण) :**

| राज्य/सं.रा. क्षेत्र | कुल परिवार | स्वत: बहिर्वेशित परिवार | स्वत: अंतर्वेशित परिवार | वंचित परिवार |
|---|---|---|---|---|
| जम्मू और कश्मीर | 1601606 | 761875 | 13791 | 586345 |
| हिमाचल प्रदेश | 1263756 | 840852 | 1938 | 259855 |
| पंजाब | 3269467 | 2438567 | 8004 | 778245 |
| चंडीगढ़ | 15657 | 9250 | 10 | 3925 |
| उत्तराखंड | 1479742 | 823330 | 4726 | 429888 |
| हरियाणा | 2969509 | 1779954 | 6519 | 997129 |
| रा.रा. क्षेत्र दिल्ली | 1051097 | 881667 | 1127 | 89744 |
| राजस्थान | 10223073 | 4069999 | 72091 | 5165212 |
| उत्तर प्रदेश | 26015592 | 12466832 | 68190 | 10381355 |
| बिहार | 17829066 | 4793001 | 37657 | 10876054 |
| सिक्किम | 88723 | 39442 | 235 | 33480 |
| अरुणाचल प्रदेश | 201842 | 118987 | 3559 | 72937 |
| नागालैंड | 284310 | 97323 | 969 | 182441 |
| मणिपुर | 448163 | 147003 | 4963 | 236653 |
| मिजोरम | 111626 | 44437 | 512 | 66499 |
| त्रिपुरा | 697062 | 165435 | 33343 | 401458 |
| मेघालय | 485897 | 151711 | 1224 | 327506 |
| असम | 5743835 | 1689138 | 33451 | 2892859 |
| पश्चिम बंगाल | 15756750 | 3302481 | 203209 | 10056266 |
| झारखंड | 5044234 | 1566811 | 52045 | 2694061 |
| ओडिशा | 8677615 | 1628400 | 119772 | 5730372 |
| छत्तीसगढ | 4540999 | 819609 | 112084 | 3179327 |
| मध्य प्रदेश | 11288946 | 3301696 | 396787 | 6748026 |
| गुजरात | 6920473 | 3236193 | 31216 | 2967972 |
| दमन और दीव | 31795 | 16707 | 3519 | 6313 |
| दादरा और नागर हवेली | 45352 | 15780 | 298 | 25378 |
| महाराष्ट्र | 13841960 | 5440356 | 227678 | 6064157 |
| आंध्र प्रदेश | 9344180 | 3595077 | 59470 | 4822104 |
| तेलंगाना | 5643739 | 3143322 | 13543 | 2136159 |
| कर्नाटक | 8048664 | 4022702 | 30074 | 2836539 |
| गोवा | 220731 | 185010 | 135 | 23816 |
| लक्षद्वीप | 10929 | 9410 | 13 | 1455 |
| केरल | 6319215 | 4388457 | 14289 | 1469167 |
| तमिलनाडु | 10088119 | 4657981 | 38549 | 4704939 |
| पुदुचेरी | 115249 | 65854 | 311 | 40336 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 68481 | 39354 | 168 | 15976 |
| **कुल** | **179787454** | **70754003** | **1595469** | **87303948** |